संख्या-118/2021/1317/22-2-2021-17(583)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2021*

विषय केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमीर पुत्र श्री बशीर निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15820/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 30-06-2021 दिनांक 03-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमीर पुत्र श्री बशीर, जो नाईपुरा, थाना-हीमपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 24.09.2005 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-437/06 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-1), बिजनौर के आदेश दिनांक 01.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.05.2021 तक 11 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बंदी शातिर किस्म का अपराधी है एवं पुनः अपराध कर सकता है। बन्दी को जेल में रखा जाना ही उचित है। बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के द्वारा भोगी गयी सजा, पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की आख्या के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-8706/2019 जमीर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमीर (बन्दी संख्या-48741) पुत्र श्री बशीर निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-118/2021/1317(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in